

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज

स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	मदन काम (पत्नी) आजीरथ सिंह काम रजपूत राठोट से राठोट ७७६५२	459.464 415.466 467.468 469.470 471.472 473.474 475.478 कुल (10)	1579	मदन काम (पत्नी) आजीरथ सिंह काम रजपूत राठोट से प्रेयराज ७७६५२	७७६५२ कुल 3	७७६५२ कुल 4

खा. अ. 172
माजसा

क्रमांक :- PGKSA/21/129
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीहवाना)

दिनांक :- 19/10/21

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीहवाना)

PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थापन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर